न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 39 / 2021

1 राधेश्याम सैनी दतक पुत्र स्व. श्री नागरमल सैनी उम्र 78 साल जाति माली निवासी सैनी नगर (चौबदारों की ढाणी) नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 हरिराम सैनी पुत्र श्री राधेश्याम सैनी जाति माली निवासी सैनी नगर (चौबदारों की ढाणी) नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 सत्यप्रकाश सैनी पुत्र राधेश्याम सैनी जाति माली निवासी सैनी नगर (चौबदारों की ढाणी) नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
3 मनोज कुमार सैनी पुत्र राधेश्याम सैनी जाति माली निवासी सैनी नगर (चौबदारों की ढाणी) नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
4 सुर्यप्रकाश पुत्र श्री राधेश्याम जाति माली निवासी सैनी नगर (चौबदारों की ढाणी) नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
5 सुशील कुमार सैनी पुत्र राधेश्याम सैनी जाति माली निवासी सैनी नगर (चौबदारों की ढाणी) नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
6 जयप्रकाश सैनी पुत्र राधेश्याम सैनी जाति माली निवासी सैनी नगर (चौबदारों की ढाणी) नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
7 उप पंजीयक नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 05.04.2021 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ बइजलास अनूप सिंह
आरएएस मु.नं. 132/2019 उनवानी हरिराम सैनी
बनाम राधेश्याम सैनी वगे. प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई
निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री कृष्ण कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जितेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 24.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा 132/2019 में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम नवलड़ी की भूमि खसरा नम्बर 257, 258, 259, 554/334, 62 के संदर्भ में अस्थायी निषेधाज्ञा चाही। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य हुये पारिवारिक समझौते दिनांक 01.11.2003 पर गौर नहीं कर कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पारिवारिक समझौते दिनांक 01.11.2003 की पालना में अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। इन तथ्यों पर गौर न कर विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 05.04.2021 गलत रूप से पारित किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जा सकता, ना ही उसको पाबन्द किया जा सकता है। कानूनन पिता के जीवनकाल में पुत्र या पुत्री द्वारा बंटवारा व किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है, ना ही बंटवारा करवाने का अधिकार है। अपीलान्ट स्व नागरमल का दत्तक पुत्र है। अपील में दर्ज भूमि अपीलान्ट की है। अपीलान्ट ही कर्ता खानदान है। अपीलान्ट को अपनी आवश्यकताओं व जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिये उपरोक्त वर्णित भूमि का हस्तान्तरण करने का अधिकार है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 के पक्ष में निष्पादित हस्तान्तरण विलेख दिनांक 07.10.2019 गिफ्ट डीड है जिसको निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड दिनांक 07.10.2019 को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय को नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा गिफ्ट डीड को सिविल न्यायालय में चैलेन्ज नहीं किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में तीन बिन्दु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु तय किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवरण सहित कोई फाईडिंग नहीं दी है। इन तीनों बिन्दुओं को उचित रूप से उल्लेखित करते हुये तय नहीं किया गया है। गलत रूप से समरी फाईन्डिंग देकर आदेश दिनांक 05.04.2021 पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में उसका प्रथम दृष्टया मामला बनना ही नहीं पाया जाता है। काबिज काश्तकारी व्यक्ति द्वारा ही घोषणा का दावा किया जा सकता है। आवेदक/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का अपील में वर्णित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा, यह तथ्य स्वीकृत है। कोई पुत्र अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल व भरणपोषण नहीं करता है तो उसे पैतृक सम्पति में हिस्सा लेने का हक नहीं रहता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर फाईन्डिंग दी गई है। विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 05.04.2021 नॉन स्पीकिंग आदेश की तारीफ में आता है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2016(3) राज पेज 1252, डीएनजे 2017(1) राज. पेज 132 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियां आवेदक के दादा नागरमल की होना स्वीकृत तथ्य है। नागरमल की मृत्यु पर विवादित भूमियां 1/2 हिस्सा नागरमल की पत्नी के नाम एवं 1/2 हिस्सा नागरमल के पुत्र राधेश्याम जो आवेदक का पिता है के नाम दर्ज हुई है। नागरमल की पत्नी के निधन पर सम्पूर्ण भूमि आवेदक के पिता अपीलांट के नाम दर्ज हुई है। स्पष्ट है कि विवादित भूमियां पैतृक है। दादा की सम्पत्ति में आवेदक का नोश्नल शेयर है। इससे आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला साबित है। आवेदक के वाद के निस्तारण तक विवादित भूमियों को संरक्षित रखना आवश्यक है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

इस आधार पर सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है। अपीलांट द्वारा विवादित भूमियों का उपहार पत्र निष्पादित किया गया है। स्थगन जारी नहीं होने की स्थिति में आगे भी बेचान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी आवेदक के पक्ष में है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन कर विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद स्थगन जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमियां आवेदक के दादा नागरमल की होना स्वीकृत तथ्य है। नागरमल की मृत्यु पर विवादित भूमियां 1/2 हिस्सा नागरमल की पत्नी के नाम एवं 1/2 हिस्सा नागरमल के पुत्र राधेश्याम जो आवेदक का पिता है के नाम दर्ज हुई है। नागरमल की पत्नी के निधन पर सम्पूर्ण भूमि आवेदक के पिता अपीलांट के नाम दर्ज हुई है। स्पष्ट है कि विवादित भूमियां पैतृक है। दादा की सम्पत्ति में आवेदक का नोश्नल शेयर है। इससे आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला साबित है। आवेदक के वाद के निस्तारण तक विवादित भूमियों को संरक्षित रखना आवश्यक है। इस आधार पर सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है। अपीलांट द्वारा विवादित भूमियों का उपहार पत्र निष्पादित किया गया है। स्थगन जारी नहीं होने की स्थिति में आगे भी बेचान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी आवेदक के पक्ष में है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन कर विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद स्थगन जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर